न्यायालयः ग्राम न्यायालय, नवलगढ़, जिला झुन्झुनू (राज०)

पीठासीन अधिकारी – सुमन चौधरी (आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या – 21/2024

सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या – 21/2024

सी०एन०आर० नंबर – RJJH140000552024

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 294/2023, नवलगढ़

अपराध अंतर्गत धारा – 279, 304 ए भा.द.स.

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री सुनिल कुमार
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्त का नाम व पता	अनिल कुमार पुत्र श्री गोवर्धन जांगिड़, उम्र 30 वर्ष, निवासी परसरामपुरा पुराना, पुलिस थाना गोठड़ा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री प्रदीप कुमार
अधिवक्ता परिवादी	-----

B

अपराध की दिनांक	18–07–2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	19–07–2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	24–01–2024
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	24–01–2024
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	27–03–2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	-------
निर्णय दिनांक	10–04–2026
दण्डादेश की दिनांक	-------

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि

01	अनिल कुमार	------	------	279, 304 ए भा.द.स.	दोषमुक्त	-------	--------------

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	सुनिल कुमार	परिवादी
पी.डब्ल्यू 2	किशोर कुमार	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 3	ओमप्रकाश	ताईद पंचनामा व सुपुर्दगी लाश
पी.डब्ल्यू 4	महेश	ताईद पंचनामा
पी.डब्ल्यू 5	सुरेंद्र	ताईद पंचनामा
पी.डब्ल्यू 6	गोवर्धन	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 7	राजेश कुमार	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 8	केदारमल	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 9	रामनिवास	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 10	भीवाराम	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 11	जाकिर हुसैन	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	तहरीर रिपोर्ट प्रथम

02	प्रदर्श पी.02	चाक एफ.आई.आर.
03	प्रदर्श पी.03	तहरीर रिपोर्ट द्वितीय
04	प्रदर्श पी.04	नक्शा मौका घटनास्थल
05	प्रदर्श पी.05	फर्द जप्ती वाहन मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोटस नंबर आरजे 18 पीएस 4664
06	प्रदर्श पी.06	फर्द जप्ती मूल कागजात आरसी, इंश्योरेंश वाहन मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोटस नंबर आरजे 18 पीएस 4664
07	प्रदर्श पी.07	फर्द पंचायतनामा श्रीमति सविता जांगिड़
08	प्रदर्श पी.08	रसीद सुपुर्दगी लाश
09	प्रदर्श पी.09	पुलिस बयान
10	प्रदर्श पी.10	पुलिस बयान
11	प्रदर्श पी. 11	पुलिस बयान
12	प्रदर्श पी. 12	पुलिस बयान
13	प्रदर्श पी. 13	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
14	प्रदर्श पी. 14	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
15	प्रदर्श पी. 15	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
16	प्रदर्श पी. 16	नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

01– संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 18–07–2023 को सांय

करीब 08.30 बजे उसकी अपनी बड़ी बहन सविता को ग्राम दीनावा जाटान से लेकर उसका छोटा भाई अनिल कुमार आ रहा था। तब ग्राम गोठड़ा से परसरामपुरा की तरफ जाते समय श्री सीमेंट फैक्ट्री क्षेत्र में बने ब्रेकर के पास पहुंचा तो सामने से एक सफेद रंग की पिकअप जैसी गाड़ी लहराती हुई आयी। जिसने उसकी मोटरसाइकिल के साईड से टक्कर मारकर तेज गति से निकल गयी। टक्कर से अनिल की मोटरसाइकिल के पीछे बैठी उसकी बहन सविता गिर गयी। गिरने से उसके सिर में चोट लग गयी। उसका भाई एक्सीडेंट से घबरा जाने के कारण हॉस्पीटल नहीं ला सका। वहां पर एंबूलेंस आयी जो सविता को नवलगढ़ सरकारी अस्पताल लेकर आयी। जहां से उसे सीकर के लिए रैफर कर दिया। सीकर पहुंचते–पहुंचते सविता की मृत्यु हो गयी। जिसे वापसी नवलगढ़ अस्पताल लेकर आ गये। उसके भाई के एक्सीडेंट के सदमे में होने के कारण वह रिपोर्ट पेश कर रहा है, इत्यादि......।" उक्त आशय की तहरीर रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–03 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04– अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उसके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

05– दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित हाने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजायाब किये जाने का निवेदन किया।

06– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त तर्को का विरोध करते हुये यह तर्क दिया कि गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। प्रकरण में वाहन व वाहन चालक की पहचान, वाहन की तेज गति व लापरवाही प्रमाणित नहीं हो पाई है। अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

07– बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

01– आया अभियुक्त ने दिनांक 18–07–2023 को समय करीब 08.30 बजे पीएम या उसके लगभग वाके मौजा ग्राम गोठड़ा से परसरामपुरा की तरफ श्री सीमेंट फैक्ट्री में बने ब्रेकर के पास सामने से आ रही तेज गति व लापरवाही से एक पिकअप गाड़ी पर अभियुक्त सवार होकर उसको उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन को संकाटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन से टक्कर मारकर कर दुर्घटना कारित कर दी। जिससे इस दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप परिवादी की बहन सविता की मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती?

02– यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

08– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (आगे **अधिनियम, 1872** से उल्लेखित) की धारा 102 के प्रावधानानुसार, उक्त विचारणीय बिन्दू को साबित करने का भारी अभियोजन पर है। आपराधिक विधि के मुख्य सिद्धांत "Presumption of innocence" के कारण अभियोजन को अपना प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करना होता है।

09– प्रकरण में परिवादी की मुख्य परीक्षा की साक्ष्य पर गौर करे तो **पी०डब्ल्यू–01 सुनिल कुमार** अपने मुख्य परीक्षण की सशपथ साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 18–07–2023 को शाम को 08.30 बजे की बात है। उसका छोटा भाई अनिल कुमार उसकी बहन सविता को दीनावा जाटान से लेकर गांव आ रहा था। जब वह गोठड़ा से परसरामपुरा की तरफ जाते हुए सीमेंट फैक्ट्री के पास पहुंचा तब वहां पर एक सफेद रंग की पिकअप आयी। जिसका चालक उसे लहराते हुए लाया। वहां पर किसी मोटरसाइकिल के टक्कर नहीं मारी थी और उसकी पूछताछ में कोई पिकअप गाड़ी भी नहीं आयी थी। अनिल कुमार स्वयं ने ही मोटरसाइकिल आरजे 18 पी एस 4664 को तेजगति से भगाकर उसकी बहन को गिरा दिया। जिसकी लापरवाही से उसकी बहन सविता के गिर जाने से आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। उसके भाई ने उसे गलत सूचना दे दी थी जिसके आधार पर उसने पिकअप के खिलाफ गलत रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। जबकि मोटरसाइकिल के किसी पिकअप वाले ने टक्कर नहीं मारी थी, बल्कि अनिल ने मोटरसाइकिल को लापरवाही से चलाया था, इसलिए सविता के

चोटें आयी थी। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने नवलगढ़ अस्पताल में रिपोर्ट दे दी थी। जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस को दूसरी रिपोर्ट दी थी, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के कागजात जप्त किए थे। फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी 05 व फर्द जपती कागजात प्रदर्श पी 06 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने सविता की लाश का पंचनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 07 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए लाश सुपुर्द की थी। लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी 08 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि प्रदर्श पी 03 उसने दिनांक 19–07–2023 को दर्ज करवायी थी। प्रदर्श पी 04 भी 19–07–2023 को ही बन गया था। यह सही है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन वह घर पर ही था। यह सही है कि उसने घटना नहीं देखी। यह सही है कि उसने घटना नहीं देखी थी, इसलिए जो सभी बातें उसने तो सुनी–सुनायी बतायी है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 उसके सामने घटनास्थल पर बनाया था। बाकी जो भी कागज पर कारवाई हुए उन पर उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये गये थे। घटनास्थल पर पास–पास दो ब्रेकर थे। वहां पर फैक्ट्री एरिया है और गाड़ियां क्रॉस होती है। वह पंचायतनामा नहीं समझता। पुलिस ने उससे पंचायतनामे से संबंधित कोई राय नहीं ली।

10– इस संबंध में गवाह **पी०डब्ल्यू–02 किशोर कुमार** अपने मुख्य परीक्षण की सशपथ साक्ष्य में कथन करता है कि उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा अर्थात वह हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

11– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–03 ओमप्रकाश** भी स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 19–07–2023 को राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में मृतका सविता जांगिड़ का फर्द पंचायतनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 07 है। जिस पर सी से डी उसके गवाह के रूप में हस्ताक्षर है। बाद पोस्टामार्टम सविता की लाश को उसके भाई सुनिल कुमार को सुपुर्द कर दिया था। जिसकी रसीद सुपुर्दगी लाश उसके सामने तैयार हुई थी। जो प्रदर्श पी 08 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि उसे जिरह का अवसर दिया गया, परंतु उसने जिरह नहीं करना चाही।

12– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–04 महेश** भी स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 19–07–2023 को राजकीय

चिकित्सालय नवलगढ़ में मृतका सविता जांगिड़ का फर्द पंचायतनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 07 है, जिस पर ई से एफ उसके गवाह के रूप में हस्ताक्षर है। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि उसे जिरह का अवसर दिया गया, परंतु उसने जिरह नहीं करना चाही।

13– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–05 सुरेंद्र** भी स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 19–07–2023 को राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में मृतका सविता जांगिड़ का फर्द पंचायतनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 07 है, जिस पर जी से एच उसके गवाह के रूप में हस्ताक्षर है। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि उसे जिरह का अवसर दिया गया, परंतु उसने जिरह नहीं करना चाही।

14– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–06 गोवर्धन, पीडब्ल्यू–07 राजेश कुमार, पीडब्ल्यू–08 केदारमल व पीडब्ल्यू–09 रामनिवास** एक्सीडेंट होते हुए देखने से इंकार करते हैं अर्थात ये सभी गवाहान हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

15– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–10 भीवाराम** स्वीकार करता है कि वह दिनांक 10–10–2023 को पुलिस थाना नवलगढ़ में पुलिस कांस्टेबल चालक के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने मुकदमा नंबर 297/23 अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए आईपीसी में जप्तशुदा मोटरसाइकिल नंबर आरजे 18 पीए 4664 का मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट तैयार की थी, जो प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी उसकी रिपोर्ट तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मोटरसाइकिल को चलाकर चेक किया तो उसके ब्रेक, लाईट, गियर, क्रेच, हॉर्न, टायर व हवा प्रेशर, मीटर सही थे। वाहन चालू हालत में था। वाहन में कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि यह सही है कि जप्तशुदा वाहन में कोई टूटफूट नहीं थी। इस बात का अंकन उसने प्रदर्श पी 13 में भी किया है। यह सही है कि यदि कोई भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता या गिरता है तो उसमें टूटफूट अवश्य ही आयेगी।

16– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–11 जाकिर हुसैन** स्वीकार करता है कि वह दिनांक 19–07–2023 को पुलिस थाना नवलगढ़ में एचसी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज प्रार्थी सुनिल कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर पेश की, जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी परिवादी के तथा सी से डी सुरेंद्र के ई से एफ कंचन एसआई के हस्ताक्षर है तथा जी से एच अस्पताल में की गयी कार्यवाही पुलिस अंकित है। आई से जे वापसी थाने में आकर रिपोर्ट के साथ पेश होने की कार्यवाही अंकित है। के से एल कंचन एसआई के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी

कंचन एसआई के हस्ताक्षर हैं, जिनके अधीनस्थ कार्य करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 07 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे गवाह के तथा के से एल कंचन एसआई के हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 08 है, जिस पर ई से एफ कंचन एसआई के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने घटनास्थल का नक्शा मौका जाकर मौत बीरान के समक्ष बनाया, जो प्रदर्श पी 04 है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 है। परिवादी सुनिल कुमार द्वारा घटना के संबंध में एक पूरक रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर पेश की जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी परिवादी के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित है। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान के कहे अनुसार उनके बयान लेखबद्ध किए। दुर्घटनाकारित मोटरसाइकिल नंबर आरजे 18 पीएम 4664 के आरसी मालिक अनिल कुमार को जरिये फर्द जप्त किया गया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 05 है। जप्तशुदा मोटरसाइकिल नंबर आरजे 18 पीएस 4664 के आरसी मालिक अनिल कुमार को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया गया जो प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी उसका जवाब व सी से डी अनिल कुमार के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जवाब में उसने वक्त घटना अपने वाहन पर स्वयं को चालक होना बताया। चालक अनिल कुमार को धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया गया, जो प्रदर्श पी 16 है। दुर्घटनाकारित मोटरसाइकिल नंबर आरजे 18 पीएस 4664 का मैकेनिकल मुआयना भीवाराम चालक से करवाकर। मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी रिपोर्ट तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। संपूर्ण तफतीश उसने अभियुक्त अनिल कुमार के विरूद्ध 279, 304 ए आईपीसी का अपराध पूर्णतः प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ साहब को सुपुर्द कर दी। जिन्होंने उक्त धाराओं में आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र पेश किया। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 01 में आरोपी वाहन पिकअप होना बताया है। यह सही है कि आरोपी वाहन पिकअप ना होकर मोटरसाइकिल थी। यह सही है कि बयानों के अलावा उसने कोई तफतीश नहीं की। यह सही है कि उसने घटनास्थल के आसपास के लोगों के बयान नहीं लिए। यह सही है कि घटनास्थल पर मोटरसाइकिल के टूटफूट और दुर्घटना बाबत कोई आलामात मौजूद नहीं थे। यह सही है कि बयानों के अलावा तेजगति व लापरवाही बाबत कोई तथ्य अनुसंधान में नहीं आया।

17– चूंकि प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रथम बिन्दू यह है कि क्या सुसंगत दिवस समय व स्थान पर आरोपी **अनिल कुमार** प्रश्नगत वाहन का चालक था? जैसा कि माननीय

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य–आर.एल.आर. 1990(2) राज. हाईकोर्ट पेज नंबर–726** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन को सर्वप्रथम यह तथ्य सिद्ध करना होता है कि दुर्घटना के समय संबंधित वाहन अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था, तत्पश्चात ही यह प्रश्न उठता है कि क्या अभियुक्त दुर्घटना के समय वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चला रहा था। परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पर गौर करें तो हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह साबित करना है कि बरवक्त घटना के समय व दिनांक को अभियुक्त द्वारा वाहन को चलाकर दुर्घटना कारित की हो। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर कुल 11 गवाह हस्तगत प्रकरण में परीक्षित करवाये गए हैं। गवाह पीडब्ल्यू 01 सुनिल कुमार है जिसने दौराने मुख्य परीक्षा कथन किया है कि दिनांक 18–07–2023 को शाम 08.30 बजे उसका छोटा भाई उसकी बहन को दीनावा जाटान से लेकर आ रहा था। जब वह गोठड़ा से परसरामपुरा सीमेंट फैक्ट्री तरफ पहुंचा तो सामने से एक पिकअप चालक अपनी पिकअप को तेज गति व लापरवाही से चलाकर ला रहा था। परंतु आगे दौराने जिरह कथन किया है कि उसने घटना नहीं देखी। वह बरवक्त घटना घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। हस्तगत प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 03, पीडब्ल्यू 04, पीडब्ल्यू 05, पीडब्ल्यू 10 व पीडब्ल्यू 11 औपचारिक गवाहान हैं। इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 02, पीडब्ल्यू 06 लगायत 09 हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। पीडब्ल्यू 11 अनुसंधान अधिकारी है, जिसने दौराने जिरह यह कथन किया है कि प्रदर्श पी 01 में आरोपी वाहन पिकअप होना बताया है, परंतु आरोपी वाहन पिकअप ना होकर मोटरसाइकिल थी। आगे गवाह ने कथन किया है कि बयानों के अलावा उसने कोई तफतीश नहीं की। घटनास्थल पर मोटरसाइकिल के टूट फुट और दुर्घटना बाबत कोई आलामात मौजूद नहीं थे, ना ही बयानों के अलावा तेजगति व लापरवाही बाबत कोई तथ्य अनुसंधान में आयी। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में किसी भी गवाहन द्वारा बरवक्त घटना वाहन चालक की तेजगति व लापरवाही की संपुष्टि नहीं हुई है। हस्तगत प्रकरण में गवाहों की साक्ष्य से प्रथमदृष्टया यह साबित हुआ है कि दुर्घटना कारित वाहन पिकअप गाड़ी नहीं होकर मोटरसाइकिल था। जिसकी पुष्टि स्वयं मृतका के भाई गवाह पीडब्ल्यू 01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में की है तथा अपने भाई के द्वारा मोटरसाइकिल को लापरवाहीपूर्वक चलाना बताया है। जिसे अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी दौराने जिरह स्वीकार किया गया है कि आरोपी वाहन पिकअप नहीं होकर मोटरसाइकिल था। चूंकि प्रथमदृष्टया पिकअप चालक द्वारा कोई दुर्घटना कारित करना गवाहों की साक्ष्य से साबित नहीं होती है। अतः यह तथ्य कि बरवक्त दुर्घटना पिकअप वाहन कौन चला रहा था, उसकी लापरवाही व उपेक्षा थी या नहीं। अतः उपरोक्त तथ्य हस्तगत प्रकरण में साबित करने सुसंगत नहीं रह जाते

हैं। प्रथमदृष्टया गवाहों की साक्ष्य से दुर्घटनाकारित वाहन मोटरसाइकिल होना पाया गया है। अतः पिकअप चालक व अभियुक्त द्वारा कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है। अतः हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि बरवक्त घटना वाहन पिकअप का चालक अभियुक्त रहा हो। अतः अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। आपराधिक विधि का यह नियम है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष हस्तगत प्रकरण में यह साबित करने में असफल रहे हैं कि बरवक्त घटना वाहन पिकअप का चालक अभियुक्त रहा हो और उसकी तेज गति व लापरवाही बरतने के तदुपरांत घटना घटित हुई हो। अतः न्यायालय द्वारा किये गये उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल प्रकट हुआ है।

18– परिणामतः उपर्युक्त समस्त विवेचन से विचारणीय बिन्दू नकारात्मक रूप में तय किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

19– एतदद्वारा **अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र श्री गोवर्धन जांगिड़, उम्र 30 वर्ष, निवासी परसरामपुरा पुराना, पुलिस थाना गोठड़ा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान** को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतदद्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते है।

20– अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के उपबंध के अनुसार स्वयं का 10,000 रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू 06 माह की अवधि के लिये न्यायालय की संतुष्टि की पेश करे।

21– प्रकरण में जब्तशुदा वाहन न्यायालय के आदेश से सुपुर्दगी पर दिया गया है, जिसका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे। वाहन सम्बंधित के पास ही बने रहने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय, नवलगढ

22– निर्णय व आदेश आज दिनांक **10–04–2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं (राज०)।